R.M.M. Law College, Saharsa Date 10.5.202

Arvindra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Subject-Evidence
अधिनियम

साक्ष्य अधिनियम धारा 1872 के
ऐसे कथन जिनकी प्रस्तुति की अनुमति न्यायालय साक्षियों को देता है जो विचाराधीन तथ्यों के लिये सम्बन्ध है साक्ष्य कहलाते हैं। वहीं सभी दस्तावेज और न्यायालय के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं अवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है।

अर्थात् के मुताबिक शब्दकोश के साक्ष्य का अर्थ उन संविधित तथ्यों को कहते हैं। जिसके द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध अथवा असिद्ध करने का प्रयास किया जाये। किसी बात को प्रमाणित करने के लिये न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है वह साक्ष्य के अन्तर्गत माना जाता है। मौखिक साक्ष्य जो न्यायालय में अभिव्यक्त किया जाता है धारा-51 से धारा 60 का उल्लेख किया गया है। इसी तरह दस्तावेजी साक्ष्य 61, 62, 63 में उल्लेख किया गया है मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय को मान्यता देने के लिये होती है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो साक्ष्य न्यायालय के आता है अपने विचाराधीन होता है। न्यायालय की परीक्षण और अवलोकन की आवश्यकता वास्तविक साक्ष्य के लिए है

माना जाता है। इसी कारण मौलिक दस्तावेज नष्ट हो जाता है तब न्यायालय उक्त इलेक्ट्रानिक का प्रतिलिपि से भी काम ~~[illegible]~~ का उपयोग में ला सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने उक्त इलेक्ट्रानिक को देखा है तो उसे गौण साक्ष्य माना जायगा और उसकी मान्यता होगा। अधिनियम 25 के अन्तर्गत पुलिस की कोई स्वीकृति होती है तो उसे धारा 26 के अन्तर्गत उसकी मान्यता नहीं होती है। क्योंकि ~~वही~~ पुलिस के डर से भी ऐसी हो सकती है। वही साक्ष्य अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट के सामने हुई तो उसे सही माना जायगा।